

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) गण्डई—छुईखदान,
जिला—खैरागढ—छुईखदान—गण्डई (छ.ग.)**

प्ररूप—ड

(नियम 7(2) देखिये)

अनुशंसा

प्रति,

अवध पिता वैसाखू जाति— गोंड,
निवासी ग्राम— भुजारी,

तहसील— छुईखदान, जिला— खैरागढ—छुईखदान—गण्डई (छ.ग.)

विषयः— प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष की कटाई हेतु अनुशंसा।

—00—

विषयांतर्गत आपका आवेदन दिनांक 04.03.2025 को इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। राजस्व विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन दिनांक 04.03.2025 को जारी किया गया। संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 11.04.2025 को प्राप्त हुआ। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है—

1. खाते के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या— 02 सागौन
2. खाते के परिपक्व वृक्षों की संख्या— 00

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ कि ख.न. 223/4 रकबा 0.202 हे. ग्राम— भुजारी, प.ह.न. 10, तहसील— छुईखदान स्थित वृक्ष जिनकी प्रजाति सागौन एवं संख्या क्रमशः 02 है को काटे जाने पर सहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुशंसा अभिव्यक्त की जाती है।

छत्तीसगढ वनउपज (व्यापार विनियम) अधिनियम 1969 (क. 9 सन 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किये जाने पर यह अनुशंसा शून्य होगी।

यह अनुशंसा आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

गण्डई—छुईखदान

गण्डई—छुईखदान 17.04.2025

पृ.क. / ३८२ / वाचक-1 / अ.वि.अ. / 2025

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर जिला खैरागढ—छुईखदान—गण्डई को सादर सूचनार्थ।
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल खैरागढ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. वन परिक्षेत्र अधिकारी छुईखदान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. तहसीलदार, तहसील— छुईखदान को वृक्ष कटाई पश्चात राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।



अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

गण्डई—छुईखदान